रिपोर्ट पटवारी के सम्बन्ध मे जांच की गई। जिसके अनुसार ककराना प्रार्थी आगीरथमल पु हीरालाल को गाटा नं. 164, 205, 318 के प्रमाण पु. हीरालाल नाम दर्ज है जो किसी नहीं हीरालाल पु. हीरालाल आधारकार्ड, राशनकार्ड व अन्य कार्ड 2) पट्टा पर राशनकार्ड में दर्ज है जिसको शुद्ध किया जाना उचित है

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

दिनांक :-

राजस्व / 2020 /

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक दुरूस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की जाती है / नहीं है।

तहसीलदार उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :- .....

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में अंकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

ग्राम	जमाबन्दी साम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
ककराना	2075-2078	164 205 318	प्रमाण पु. हीरा	आगीरथमल पु. हीरालाल

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक - 16/11/24

क्रमांक :- राजस्व / 2020 / 1143-44

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ। .....को सूचनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया .....

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.01.09 12:18:50 IST
Reason: SelfAttested

प्रमाणित किया जाता है कि आगीरथ पु प्रमाण एक ही नाम से जाना जाता है
ममता

Scanned with CamScanner